संख्या-92/2023/2014/तीस-**3-2023**

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-**3** लखनऊः दिनांकः **14** जुलाई, **2023**

विषयः "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, **2022** में विहित क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन की शर्तों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-87सा0प्र0/2023-08टीआर/2018-23, दिनांक 01 फरवरी, **2023** एवं पत्र संख्या-735सा0प्र0/2023-08टीआर/2018-22, दिनांक 10 जुलाई, 2023 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, **2022** के अन्तर्गत क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों पर अनुमति प्रदान की जाती है :-

1- क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना अधिसूचना संख्या-41/2022/2596/77-6-2022-1(एम) /2022 दिनांक 14-10-2022 की अधिसूचित होने की तिथि 14-10-2022 से 13-10-2023 तक प्रभावी होगी।

2- क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु अर्ह आवेदक को वेबपोर्टल < upevsubsidy.in > पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

3- अर्ह आवेदक वे होंगे, जिन्होंने उक्त नीति की अधिसूचना की तिथि के पश्चात उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन का क्रय एवं पंजीयन कराया हो।

4- प्रत्येक वाहन वर्ग में क्रय सब्सिडी का वितरण उक्त नीति के प्रस्तर-4.3 (2) में विहित निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगाः-

(i) 2 व्हीलर के इलेक्ट्रिक वाहन को 5,000 रूपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत, 100 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य।

(ii) 4 व्हीलर के इलेक्ट्रिक वाहन को 01 लाख रूपये प्रतिवाहन की सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत, 250 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 25,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य।

(iii) ई-बसों (गैर-सरकारी) को 20 लाख रूपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत, 80 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 400 ई-बसों को अनुमन्य।

(iv) ई-गुड्स कैरियर के 1,00,000 रूपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत, 10 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 1000 ई-गुड्स कैरियर को अनुमन्य।

नोट :

- व्यक्तिगत क्रेताओं को उपरोक्त क्रय सब्सिडी केवल एक ही 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के क्रय पर अनुमन्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- एग्रीग्रेटर्स (Aggregators)/फ्लीट ऑपरेटर क्रेताओं को उपरोक्त क्रय सब्सिडी अधिकतम दस 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के क्रय पर तथा अधिकतम पांच ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के क्रय पर अनुमन्य होगा।
- इस योजना के अन्तर्गत क्रय सब्सिडी किसी भी क्रेता को इस योजना के प्रभावी अवधि में एक ही बार अनुमन्य होगा। अनुमन्य '' क्रय सब्सिडी '' प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जायेगी, जिसे क्रेता को डीलर से सत्यापन के उपरान्त सीधे ट्रांसफर किया जायेगा।
- यदि किसी स्थिति में क्रेता द्वारा बिना बैट्री के वाहन का क्रय किया जाता है, तो उस पर उपरोक्तानुसार अनुमन्य "क्रय सब्सिडी" का केवल 50 प्रतिशत ही प्रदान किया जाएगा।

5- आवेदन में किसी भी प्रकार की गलत सूचना दिये जाने पर आवेदक क्रय सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगा तथा आवेदक के विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

6- क्रय सब्सिडी हेतु अर्ह आवेदक को स्वयं के नाम के बैंक खाते का विवरण आवेदन के समय देना होगा।

7- आवेदन मात्र से ही आवेदक क्रय सब्सिडी हेतु अर्ह नहीं होगा, बल्कि परिवहन विभाग द्वारा आवेदक का सत्यापन निम्न आधार पर करते हुए अर्ह आवेदक की पात्रता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही आवेदक के सम्बन्धित बैंक खाते में क्रय सब्सिडी वितरित की जायेगीः-

(i) प्रथम चरण में इलेक्ट्रिक वाहन एवं इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता के विवरणों (Credentials) का सत्यापन संबंधित मोटर वाहन डीलर द्वारा किया जाएगा।

(ii) आवेदक रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक को अपनी फोटो व हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे, ताकि उक्त फोटो व हस्ताक्षर का सत्यापन वाहन डेटाबेस में वाहन पंजीयन के समय अपलोड किये गये फार्म-20 में चस्पा फोटो व हस्ताक्षर से सम्बन्धित आरटीओ द्वारा किया जा सके।

2- कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
(एल0 वेंकटेश्वर लू)
प्रमुख सचिव।

संख्या-92/2023/2014(1)/तीस-**3-2023**, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन/राजस्व), उ0प्र0।
3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
5- औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in